न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 92/2016/अपील

प्रभूदयाल पुत्र भूराराम जाति बलाई निवासी ग्राम डांसरोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1. सुगनचन्द पुत्र रामेश्वर जाति बलाई निवासी मेई मोड पुन्याणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. मोहरी देवी पत्नि भूराराम
3. नेमाराम पुत्र भूराराम
4. मुकेश कुमार पुत्र भूराराम
5. मूलचन्द पुत्र भूराराम

   समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम डांसरोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
6. रामनिवास पुत्र नाथूराम जाति बलाई निवासी मीण्डा तहसील नांवा जिला नागौर
7. बजरंगलाल पुत्र नारायणलाल जाति कुमावत निवासी डांसरोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 12.10.2015 द्वारा तहसीलदार दांतारामगढ़ जिसके द्वारा इकरार के तहत बंटवारा तस्दीक कर अमल दरामद का आदेश पारित किया

वकील अपीलांट श्री कैलाश सोनी
वकील रेस्पोडेंट श्री सागरमल धायल

निर्णय **दिनांकः—26.12.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 546 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 547 राकबा 1.86 है0 एवं खसरा नम्बर 548 रकबा 0.66 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.02 है0 वाकै ग्राम डांसरोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित चली आ रही है। उक्त भूमि का अपीलाण्ट भी अन्य खातेदारान के साथ सहखातेदार है, तथा अपने हिस्से के अनुरूप काश्त करता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त भूमि के खातेदारान एवं अपिलाण्ट को मुगालते में रखकर ग्राम डांसरोली के पटवारी हल्का श्री नंदलाल मीणा से अवैध सांज करके सहमती के आधार पर दिनांक 28.09.2015 को विभाजन आवेदन का इकरारनामा पेश कर दिनांक 12.10.2015 को आदेश पारित करवा दिया। उक्त आदेश कतई गलत, विधिविरूद्ध होने से अपिलाण्ट के साम्पतिक अधिकारो के प्रतिकूल है। उक्त आदेश पारित किए जाने से पूर्व योग्य अधीनस्थ तहसीलदार ने वास्तविक एवं आवश्यक जांच नही की गैरकानूनी ढंग से आदेश पारित किया गया है, तथा बिना जांच एवं कब्जा के ही आदेश पारित किया गया है। प्राकृतिक न्याय एंव साम्या का सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित किए जाने से पूर्व सम्बन्धित व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा, परन्तु उक्त सिद्धान्त एवं कानून के

विपरित जाकर योग्य अधीनस्थ तहसीलदार ने मनमाना आदेश पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। उक्त विभाजन आवेदन पर रेस्पोडेंट संख्या 5 मूलचन्द के फर्जी हस्ताक्षर करवाए गए है, जबकि दिनांक 28.09.2015 को उक्त मूलचन्द नाबालिक था, जो किसी भी प्रकार की संविदा, इकरार, किसी भी प्रकार का प्रलेख हस्ताक्षरित करने हेतु विधितः समक्ष नहीं था। मूलचंद के स्कूल रिकोर्ड के अनुसार उसकी जन्म तिथि दिनांक 02.05.1998 है, जिसके अनुसार उसकी व्यस्कता तिथि दिनांक 02.05.2016 होती है, जबकि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.09.2015 को पेश किया है, जिस पर आदेश दिनांक 12.10.2015 को पारित किए गए है। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही ही दुषित है। अधीनस्थ तहसीलदार ने बिना न्यायिक मस्तिष्क अप्लाई कर चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया है। उक्त आदेश की आड़ में रेस्पोडेंट संख्या 1 अपीलांट के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे है, अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के पूर्वजों के समय से उनका कब्जा काश्त है। अधीनस्थ तहसीलदार ने मनमाना निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ तहसीलदार दांतारामगढ़ के द्वारा दिनांक 12.10.2015 को पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त पक्षकारान द्वारा दिनांक 28.09.2015 को किये गये इकरार/बंटवारा सम्बंधित दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा ग्राम डांसरोली के खसरा नम्बर 546, 547 व 548 के सम्बंध में किये गये विभाजन/बंटवारानामा पर समस्त पक्षकारान/खातेदारान के हस्ताक्षर अंकित है। समस्त पक्षकारान/खातेदारान की सहमति से किये गये बंटवारानामा को तहसीलदार द्वारा दिनांक 12.10.2015 को तस्दीक किया गया है। इस प्रकार विवादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में दिनांक 28.09.2015 को किया गया विभाजन/बंटवारा समस्त पक्षकारान/खातेदारान की मौजूदगी में एवं सहमति से किया गया है एवं उसके पश्चात् अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी आपत्ति जाहीर की है कि उक्त विभाजन/बंटवारा प्रस्ताव पर रेस्पोडेंट संख्या 5 मूलचन्द के फर्जी हस्ताक्षर करवाए गए है। रेस्पोडेंट संख्या 5 मूलचन्द के फर्जी हस्ताक्षर होने के सम्बंध में कोई एफआईआर दर्ज करवाने एवं अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के सम्बंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार मूलचन्द के फर्जी हस्ताक्षर होने के सम्बंध में पत्रावली पर किसी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से उक्त बिन्दु के निष्कर्ष तक पहुंच पाना संभव नहीं है। चूंकि पक्षकारान के मध्य विभाजन एवं बंटवारा दिनांक 28.09.2015 को किये जाने के पश्चात् अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा दिनांक 12.10.2015 को तस्दीक किया गया है एवं चुनौतिग्रस्त अपील दिनांक 13.10.2016 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार समस्त पक्षकारान/खातेदारान की सहमति के आधार पर किये गये विभाजन/बंटवारानामा के सम्बंध में एक वर्ष पश्चात् की गई अपील के माध्यम से उक्त बंटवारानामा को चुनौति दिया जाना संभव नहीं है। अतः अधीनस्थ तहसीलदार दांतारामगढ़ के द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक 12.10.2015 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है, जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/12/19

(जय प्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर